8/5/2025

पत्रावली पेश हुई। वकील ~~वादी~~ प्रार्थी उपस्थित है। वकील अप्रार्थी श्री धर्मवीर चामनिया उपस्थित है। पत्रावली वास्ते जवाब अप्रार्थीगण नियत है। वकील अप्रार्थी द्वारा प्रार्थनापत्र का जवाब नहीं देते हुये, प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाने बाबत अपनी अनापत्ति प्रकट की। वकील ~~वादी~~ प्रार्थी को सुनागया। वकील प्रार्थी द्वारा निवेदन कियागया कि, पत्रावली मूल मे नियत दिनांक की वादी तथा वादी अधिवक्ता को जानकारी नहीं होने से, न्यायालय में उपस्थित नहीं हो पाये। जिसके कारण माननीय न्यायालय द्वारा मूलवाद अदम ~~अदम~~ हाजरी अदम पैरवी मे खारिज फरमाया गया। पत्रावली के बारे मे जानकारी होते ही वादी द्वारा नकल प्राप्त कर, प्रार्थनापत्र वास्ते रेस्टोर अविलम्ब पेश कर दियागया है। अतः प्राकृतिक न्याय की ~~तहत~~ अवधारणा के तहत प्रार्थी का प्रार्थनापत्र वास्ते रेस्टोर मूल पत्रावली स्वीकार की जावे। वकील अप्रार्थी द्वारा मूल वाद को पुनः नम्बर होने बाबत प्रार्थनापत्र O9 R4 CPC वास्ते रेस्टोर स्वीकार करने पर अपनी सहमति प्रकट की। उभय पक्षकारो को सुनागया। ~~अतः~~ वादी को प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के तहत अपना पक्ष रखने का अवसर दिया जाना उचित है। अतः अपना पक्ष रखने के नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त का सम्मान करते हुये वकील प्रार्थी / प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रा.पत्र O9 R9 CPC सपठित धारा 151 CPC अनुतोषनीय होने से स्वीकार

लगातार

उपखण्ड अधिकारी
भिणाय (अजमेर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भिनाय जिला–अजमेर(राज0)

प्रकरण संख्या– 53/2025

....बनाम..

अन्तर्गत धाराः–..

हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्य जज
	लिहाजा मूल वाद नाथू बनाम मदन वगै. मु.नं. 85/2013 को रेस्टोर किया जाकर पुनः कार्यवाही आरम्भ की जाती है। मूलवाद मे आगामी तारीख 30/5/2025 नियत की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार हो। नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।
	उपखण्ड अधिकारी भिनाय (अजमेर)